भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/(RAILWAY BOARD)

No.2008/H/5/18 New Delhi, dated 20.05.11

The General Managers,
All Indian Railways,
(Including PUs).

CORRIGENDUM

Sub.: Periodic Medical examination – relaxation for Loco Pilots declared with type II Diabetes – Amendment to Annexure-III (Para 509, 512) – 12.7.2 of IRMM- 2000.

Pursuant to the demand raised by Staff Side as DC/JCM item, the issue of relaxing the medical standards of Loco Pilots suffering from Diabetes Mellitus have been considered by the Board and the following has been decided –

Employees in A-one category who are suffering from Diabetes Mellitus can be declared fit for the respective categories if Diabetes is controlled on diet and/or on Tab. Metformin (oral hypoglycemic drug) upto 2gm/day only.

Periodic medical examination of such employee is to be conducted every year in addition to regular follow up as per the advice of the treating physician.

The in-service employee of A-one category who had been declared unfit due to Diabetes Mellitus prior to issue of this Board's letter will not be considered for re-medical examination.

This issues in consultation with Safety, Mechanical, Electrical & Establishment Dtes. of Board's office

Accordingly an ACS to Annex III (Para 509, 512) - 12.7.2 of IRMM-2000 is enclosed.

Hindi version will follow.

This supersedes the instructions contained in Board's letter of even number dated 03.05.11.

(Dr. D.P. Pande)
Executive Director Health(Plg.)
Railway Board
Telefax 011-23389623
E-mail: edhp@rb.railnet.gov.in

Encl.: ACS to Annex III (Para 509, 512) - 12.7.2 of IRMM-2000.

Abhan-2015

Advance Correction Slip to Annexure – III (Para 509, 512) – 12.7.2 of IRMM-2000.

Annexure – III (Para 509, 512) – 12.7.2 of IRMM-2000 to be replaced as under–

Employees in A-one category who are suffering from Diabetes Mellitus can be declared fit for the respective categories if Diabetes is controlled on diet and/or on Tab. Metformin (Oral Hypoglycemic Drug) upto 2gm/day only.

Periodic medical examination of such employee is to be conducted every year in addition to regular follow up as per the advice of the treating physician.

(Board's Authority letter No. 2008/H/5/18 dated 20.05.11)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2008/एच/5/18 नई दिल्ली, दिनांक: 20-05-2011

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
(उत्पादन इकाइयों सहित)।

शुद्धिपत्र

विषय: आवधिक चिकित्सा जांच - टाईप-II डायबिटीज घोषित किए गए लोको पायलटों के लिए छूट - आईआरएमएम-2000 के अनुबंध-III (पैरा 509, 512) - 12.7.2 में संशोधन।

डीसी/जेसीएम मद के रूप में कर्मचारी पक्ष द्वारा की गई मांग के अनुसरण में, डायबिटीज मेलीट्स से पीड़ित लोको पायलटों के चिकित्सा मानकों में छूट देने के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और निम्नलिखित निर्णय लिया गया है-

यदि डायबिटीज को आहार लेने और/अथवा प्रतिदिन अधिकतम 2 ग्राम की मेटफोरमिन गोली (ओरल हाइपोग्लीसेमिक दवाई) लेने से नियंत्रित किया जाता है तो ए-वन कोटि के कर्मचारी, जो डायबिटीज मेलीट्स से पीड़ित हैं, संबंधित कोटियों के लिए फिट घोषित किए जा सकते हैं।

ऐसे कर्मचारी की आवधिक चिकित्सा जांच, ईलाज करने वाले फिजिशियन की सलाह के अनुसार नियमित फॉलोअप के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष की जानी होती है।

ए-वन कोटि के सेवारत कर्मचारी जिन्हें बोर्ड के इस पत्र के जारी होने से पहले डायबिटीज मेलिट्स के कारण अनफिट घोषित कर दिया गया था, पर पुनः चिकित्सा जांच के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

इसे बोर्ड कार्यालय के संरक्षा, यांत्रिक, बिजली और स्थापना निदेशालयों के परामर्श से जारी किया जा रहा है।

तदनुसार, आईआरएमएम-2000 के अनुबंध-III (पैरा 509, 512) - 12.7.2 की अग्रिम शुद्धिपर्ची संलग्न है।

इससे बोर्ड के दिनांक 03.05.2011 के समसंख्यक पत्र में निहित अनुदेशों का अधिक्रमण होता है।

(डॉ. डी.पी. पाण्डेय)
कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य (योजना)
रेलवे बोर्ड
टेलीफैक्स 011-23389623
ईमेल: edhp@rb.railnet.gov.in

Encl: ACS to Annex III (Para 509, 512) - 12.7.2 of IRMM-2000.

आईआरएमएम-2000 के अनुबंध-III (पैरा 509, 512)-12.7.2 की अग्रिम शुद्ध पर्ची

आईआरएमएम-2000 के अनुबंध-III (पैरा 509, 512)-12.7.2 को निम्नानुसार बदला जाए-

यदि डायबिटीज को आहार लेने और/अथवा प्रतिदिन अधिकतम 2 ग्राम की मेटफोरमिन गोली (ओरल हाइपोग्लीसेमिक दवाई) लेने से नियंत्रित किया जाता है तो ए-वन कोटि के कर्मचारी जो डायबिटीज मेलीट्स से पीड़ित हैं, संबंधित कोटियों के लिए फिट घोषित किए जा सकते हैं।

ऐसे कर्मचारी की आवधिक चिकित्सा जांच ईलाज करने वाले फिजिशियन की सलाह के अनुसार नियमित फॉलोअप के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष की जानी होती है।

(बोर्ड का दिनांक 20.05.2011 का प्राधिकार पत्र सं. 2008/एच/5/18)